

छत्तीसगढ़ शासन  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5-42/2023/10-2  
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/07/2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
एवं वन बल प्रमुख  
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,  
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,  
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 6.713 हे. वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- 1. विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 09.10.2023।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-914/92, दिनांक 10.01.2024 एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-914/1550, दि. 18.06.2025।

-----000-----

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तत्कालीन दिशा निर्देश अंतर्गत सामान्य अनुमोदन के तहत राज्य शासन स्तर से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

2/- उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से प्रेषित कर राज्य शासन स्तर से औपचारिक स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया।

3/- प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के अंतर्गत जारी नये दिशा निर्देश दिनांक 29.12.2023 के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा MoEF&CC उप कार्यालय, रायपुर से अंतिम चरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर के पत्र क्र. FP/CG/OFC/54970/2020/32, दिनांक 20.06.2025 के माध्यम से राज्य शासन को निर्देश दिये गये है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के नये दिशा निर्देश के तहत विषयांकित प्रकरण में राज्य शासन द्वारा आवश्यक कारवाई की जावे।

5/- अतः MoEF&CC नई दिल्ली के नये दिशा निर्देश पुस्तिका दिनांक 29.12.2023 के नियम 16(8)(i) में निहित प्रावधानों के तहत राज्य शासन के संदर्भित पत्र क्र. 1 द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति में निहित शर्तों के पालन करने की शर्त पर राज्य शासन एतद् द्वारा अंतिम चरण स्वीकृति प्रदान करता है। शर्त क्र. 11 जो वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 से संबंधित है का विशेष ध्यान देकर पालन किया जाये।

क्रमशः 2

6/- राज्य शासन द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 में अधिरोपित उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 का उल्लंघन मानकर कार्यवाही की जायेगी। राज्य शासन की ओर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 उपरोक्त शर्तों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार



(डी.आर.सोन्टापर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठा.क्रमांक/एफ 5-42/2023/10-2  
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/07/2025

1. वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक FP/CG/OFC/54970/32, दिनांक 20.06.2025 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
  2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
  3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
  4. वनमंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल, छत्तीसगढ़।
  5. आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

00